

GST Hindi update on requirement of CA certificate in case of inverted duty structure refund claim above 2 lakhs.

हम यहाँ इस update में हम inverted duty structure refund के लिए जो CA Certificate दिया जाता है वो देना अनिवार्य है या नहीं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब भी हम inverted duty structure refund फाइल करते हैं और अगर हमारा रिफंड क्लेम 2 Lakhs से ज्यादा होता है तो डिपार्टमेंट द्वारा supporting documents में CA Certificate माँगा जाता है। पर क्या GST ACT के अनुसार CA Certificate देना जरूरी है ?

यह जानने के लिए हमें Rule 89 (2) (m) of CGST Rules 2017 को देखना होगा जिसमें लिखा है कि अगर refund claim 2 Lakhs से अधिक होगा तो CA Certificate देना है। Rule 89 (2) (m) of CGST Rules 2017 इस प्रकार है :-

“यदि जहाँ refund की राशि दो लाख रुपये से अधिक है तो Chartered Accountant या Cost Accountant द्वारा Annexure 2 of FORM GST RFD-01 में एक certificate देना होगा की जिस Tax या Interest या फिर अन्य राशि का रिफंड लेना है उसको , किसी मामले में किसी अन्य व्यक्ति को Passed on नहीं किया गया है। :

बशर्ते कि Section 54 (8) के clause (a) या clause (b) या clause (c) या clause (d) या clause (f) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में उपरोक्त certificate देने करने की आवश्यकता नहीं है। “

यह proviso Section 54(8) की बात करता है। इस Section 54 (8) के clause (b) में लिखा है कि

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the refundable amount shall, instead of being credited to the Fund, be paid to the applicant, if such amount is relatable to—

(a) -----

(b) refund of unutilised input tax credit under sub-section (3);

अब इसके लिए हमें Section 54 के sub-section (3) देखना होगा और वह इस प्रकार है

"(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period: "

**बशर्ते इन दोनों रिफंड के अलावा unutilised input tax credit का रिफंड किसी और केस में नहीं मिलेगा
:=**

(i) zero rated Export का रिफंड जो कि Letter of undertaking के against में किया गया हो without payment of tax ;

(ii) Inverted Duty structure रिफंड जहा इनपुट पर टैक्स कि रेट ज्यादा होती है और आउटपुट सप्लाइ पर टैक्स कि रेट काम होती है और उस वजह से accumulated ITC का रिफंड क्लेम लिया जाता है।

अब इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि Rule 89 (2) (m) of CGST Rules 2017 में जो CA certificate देने के लिए लिखा गया है वो inverted Duty Structure के refund claim के लिए apply नहीं होता है क्यों कि जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि Rule 58 (2) (m) के proviso के अनुसार इस केस में CA certificate देने कि कोई आवश्यकता नहीं है ।

डिपार्टमेंट Inverted Duty Structure के केस में assessee से Circular No 125/44/2019 - GST दिनांक 18 नवंबर 2019 के annexure A के point no 5 का हवाला देते हुए CA Certificate की मांग करता है और इस वजह से assessee को certificate की आवश्यकता ना होने पर भी उसको लेने के लिए CA के पास जाना पड़ता है और रिफंड क्लेम मिलने में देरी भी हो जाती है। जबकि उपरोक्त discussion से यह clear है कि इसमें सीए के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर मुद्दा ये आता है कि जब सेक्शन तथा रूल यह कहते हैं कि सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है तो क्या सर्कुलर इनसे आगे जाकर सीए सर्टिफिकेट मांग सकता है? Circular कभी भी Act या Rule से ऊपर नहीं हो सकता है। अतः यह circular असंवैधानिक है तथा डिपार्टमेंट certificate नहीं मांग सकता है।